लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर ओम बिरला का अभिनंदन किया

कोटा, (निसं)। सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने ओम बिरला के लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उनके दिल्ली स्थित निवास पर भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया। आयोजन समिति के देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष को माला, साफा पहनाकर, अभिनंदन पत्र भेंट कर, उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी उनके कार्यकाल में संसदीय लोकतंत्र और अधिक समृद्ध होगा। प्रतिनिधि मंडल ने संसद के नवीन भवन का भ्रमण किया एवं संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली।

प्रतिनिधि मंडल में राजस्थान

■ संसदीय गतिविधियों की जानकारी ली

एकाउंटस् एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जैन, नगर विकास न्यास कोटा के पूर्व राजस्व सलाहकार परमानंद गोयल, स्टेट बैंक आफ इंडिया पेंशनर्स ऑफीसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर. के. जैन, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन पूर्व संभागीय अध्यक्ष बी.के. शर्मा, राजस्थान लेखा सेवा के टीकमचंद जैन अतिरिक्त कोषाधिकारी, देवेंद्र सिंह चौहान सहायक लेखा अधिकारी, लक्ष्मण सिंह सेवानिवृत्ति लेखा अधिकारी आदि उपस्थित थे।

कोटा सांसद ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर अभिनन्दन किया गया।

किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी संवाद 30 को

कोटा, (निसं)। किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा 30 जून को दोपहर 12 बजे किसानों से लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीसी से कोटा मुख्यालय पर किसान सम्मान निधि योजना के 500 लाभार्थियों एवं सभी ब्लॉक मुख्यालय पर 200 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 50 लाभार्थियों से वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान (सिआम) ऑडिटोरियम में एवं जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर होगा।

बीमा विभाग के निदेशक ने जनसुनवाई की

कोटा, (निसं)। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशक महेन्द्र खडगावत की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कर 52 परिवेदनाओं का समाधान कर 7 दिवस में निस्तारण करने के निर्देष दिए। उन्होंने संभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिले में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की अतिरिक्त निदेषक अतिका आजाद ने बताया कि निदेषक ने जनसुनवाई से पूर्व कोटा संभाग के चारों जिलों कोटा-बून्दी-बारां-झालावाड़ के कार्यो की समीक्षा की जिसमें संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना करते हुए और अधिक जवाबदेह व संवेदनशील तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। जनसुनवाई में जयपुर मुख्यालय से वरिष्ठ अतिरिक्त निदेषक अमित जौहरी, शिशिर चतुर्वेदी, सुनील बंसल, संतोष अमिताभ, रामपाल परसोया व चन्द्रशेखर मिश्रा सहित कोटा संभाग के उप निदेशक इन्द्र कुमार भानु, सहायक निदेशक जुही अग्रवाल, आराधना सक्सेना, ओमप्रकाश यादव व रामेश्वर मीणा ने भाग लिया।

रैली निकाली कर श्रमिकों को नशामुक्ति का संदेश दिया

कोटा, (निसं)। नारकोटिक्स विभाग ने गत दिवस अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के क्षैत्रिय सहायक नारकोटिक्स आयुक्त जब्बार सिंह राजपुरोहित एवं अधिकारियों की अगुवाई में वाहन रैली निकाल कर टीलेश्वर महादेव सर्किल, केशवपुरा चौराहे, एलन कोचिंग रोड़ व गोबरिया बावड़ी सर्किल पर लोगों को नशा मुक्ति के लिए आव्हान किया।

इस अवसर पर संवेदना रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष नशा मुक्ति के प्रेरक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर आरसी साहनी ने भी श्रमिकों से मादक पदार्थों शराब, तम्बाकू, बीड़ी, गुटका इसमें ड्रग्स आदि को त्यागने की अपील की एवं इनसे होने वाले स्वास्थ्य के खतरों के प्रति सावचेत किया।

राजपुरोहित ने कहा कि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए नारकोटिक्स विभाग अपनी तरफ से हर संभव मदद करेगा तथा डाक्टर तक पहुंचाएगा। चौराहों पर आम नागरिक एवं श्रमिकों ने बताया कि सरकार शराब की दुकानें और तंबाकूयुक्त पदार्थों को बंद कराऐ। हमें रोजगार उपलब्ध करावे तो हम नशा नहीं करेंगे। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय प्रजापति विश्वविद्यालय की प्रेरक डॉ.कृष्णा पाठक ने भी विचार व्यक्त किए।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम रुपेश से बदलकर नया नाम रुपेश राय रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-रुपेश राय पुत्र सचिन कुमार मकान नम्बर-4-डी-34 विज्ञान नगर कोटा

पश्चिम मध्य रेल

वरि. मंडल सामग्री प्रबंधक
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय – कोटा
(भंडार आपूर्ति हेतु ई-निविदा सूचना संख्या ई- 99245196A खुलने का दिनांक 24.07.2024

वरि. मंडल सामग्री प्रबंधक कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय–कोटा, भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदा आमंत्रित करते है। कोई भी व्यक्तिगत/डाक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए www.ireps.gov.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निविदा संख्या– E-99245196A, **मद का संक्षिप्त विवरण**– CASNUB - 22 HS CAST STEEL BOGIE WITH FRICTION DAMPING ARRANGEMENT AND FLAT CENTRE PIVOT ARRANGEMENT FOR BOXNHL WAGONS CONFORMING TO RDSO STR No.WD-17-CASNUB-22- HS-BOGIE-92 (REV.3) WITH AMENDMENT NO.6 OF JULY.20 OR LATEST AND TO RDSO DRAWING No. WD-04078- S-01, ALT.4 OR LATEST, COMPATIBLE FOR FITMENT OF BMBS BRAKE GEAR EQUIPMENT AS DETAILED IN THE ANNEXURE ENCLOSED WITH THE TENDER. (inclusive GST), **निविदा मात्रा**– 05 नं., **खुलने का दिनांक**: 24/07/2024 12:30 बजे
वरि. मंडल सामग्री प्रबंधक, पमरे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

बेसहारा शव का अंतिम संस्कार करवाया

कोटा, (निसं)। श्री आर.के.पुरम मोक्षधाम सेवा समिति कोटा ने करवाया बेसहारा शव का अंतिम संस्कार यह जानकारी समिति के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी ने दी। गुप्ता ने बताया कि प्रमुख समाजसेवी व समिति के मुख्य संरक्षक हरिकृष्ण बिरला की प्रेरणा से 18 जून 2024 को आवंली रोजड़ी निवासी मनोहर लाल पुत्र गोरधनलाल जाति जाटव परिवार के मुखिया का निधन हो गया था, परिवार से मुखिया का एक छोटा बच्चे के सिर से साया उठ जाने पर परिवारवालों ने समाजसेवी हरिकृष्ण बिरला से संपर्क किया तब बिरला ने मोक्षधाम सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक यादव एवं संरक्षक पार्षद बालचंद फौजी को फोन कर समिति के सहयोग से तुरंत अंतिम संस्कार करवाने का कहा गया, समिति के पदाधिकारियों ने बिना देर लगाये आरकेपुरम मुक्तिधाम जाकर समिति के लोगों की मौजूदगी में लकडी का सहयोग करके मनोहरलाल का अंतिम संस्कार करवाया गया।

प्रमुख समाज सेवी एवं मार्गदर्शक हरिकृष्ण बिरला एवं संरक्षक पार्षद सुमित्रा खिंची ने बताया कि बेसहारा और निर्धन की मृत्यु होने पर आर.केपुरम मुक्तिधाम पर समिति द्वारा हिन्दू रिति-रिवाज से अंतिम संस्कार करवाएगी।

इस अंतिम संस्कार के मौके पर समिति महामंत्री विष्णुनारायण शर्मा, उपाध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा, भुवनेश खिंची, कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश गौतम, जे.पी. शर्मा, प्रवक्ता पी.पी.गुप्ता, अनिल चित्तौडा, सीताराम शर्मा, रामस्वरूप विजय उपस्थित थे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री का संवाद

■ कोटा जिले के 2.13 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 24.89 करोड़ हस्तांतरित

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को झुंझुनू से आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अभिवृद्धित राशि के सीधे हस्तांतरण कार्यक्रम में एक क्लिक से पूरे प्रदेश के 88 लाख लाभार्थियों के खातों में 1 हजार 37 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इसमें कोटा जिले के 2 लाख 13 हजार लाभार्थियों को 24 करोड़ 89 लाख रूपये से अधिक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। समारोह में लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15 प्रतिशत राशि बढ़ाने का फैसला लिया था। पहले यह राशि एक हजार रूपये थी अब बढ़कर 1150 हो गई है। सिआम ऑडिटोरियम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, संभागीय आयुक्त उर्मिला राजोरिया, जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सविता कृष्णियां सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी उपस्थित थे।

कार्यक्रम से कोटा के सिआम ऑडिटोरियम से करीब 500 से अधिक लाभार्थी सीधे जुड़े रहे। कोटा जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर 200 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 50-50 लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़े।

लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद:-कार्यक्रम में आई खेड़ली फाटक निवासी विधवा पेंशन योजना की लाभार्थी अंजना मीणा ने विधवा पेंशन की राशि एक हजार रूपये से बढ़ाकर 1150 रूपये करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। विधवा पेंशन योजना की एक अन्य लाभार्थी इंदिरा गांधी नगर कोटा निवासी शांति बाई भी राज्य सरकार के पेंशन राशि बढ़ाने के फैसले से काफी खुश दिखी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से महिलाओं को सहारा मिला है। प्रेमनगर कोटा निवासी परित्यक्ता संतोष सुमन ने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा

क्रमांक 2478 जाहिर आम सूचना दिनांक - 27.06.24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश गुप्ता पुत्र स्व. श्री जमुनालाल गुप्ता द्वारा व्यावसायिक भूखंड संख्या 4-सी-31, 4-सी-67 एवं 4-सी-88 स्वामी विवेकानन्द नगर योजना कोटा के पुनर्गठन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि विचाराधीन है। यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इन व्यावसायिक भूखंडों के पुनर्गठन बाबत आपत्ति हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति हेतु समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करे व कार्यालय में आकर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को देख लेवे अन्यथा समयावधि गुजरने के बाद पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी व किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	प्रस्तावित व्यावसायिक भूखंड का पता	प्रस्तावित भूखंड के आसपास की स्थिति	प्रस्तावित पुनर्गठन
1	श्री मुकेश गुप्ता पुत्र स्व. श्री जमुनालाल गुप्ता 6-बी-5 रंगबाड़ी योजना कोटा (राज.)	4-सी-31 4-सी-67 एवं 4-सी-68 स्वामी विवेकानन्द नगर योजना 56.25 वर्ग मी. 18.00 वर्ग मी. 24.00 वर्ग मी. कुल 98.25 वर्ग मी.	उत्तर में-रोड दक्षिण में-रोड पूर्व में-4-सी 36 पश्चिम में-रोड	पुनर्गठन

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल वृत्त कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-318 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 20.6.2024

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड/आवास/दुकान संख्या 43 योजना रानपुर आवासीय में आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 22.12.2010 को श्री छगनलाल शर्मा पुत्र श्री ख्यालीराम के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटी श्री छगनलाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 18.06.2023 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान श्रीमती तीजा देवी पत्नी स्व.श्री छगनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 43 योजना रानपुर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती तीजा देवी पत्नी स्व.श्री छगनलाल शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-1323 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 27.6.2024

नगर विकास न्यास कोटा की बसंत बिहार केशवपुरा-9 आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 1140 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 01.11.1985 को श्री मोहम्मद जफर पुत्र श्री अब्दुल गफुर को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री मोहम्मद जफर पुत्र श्री अब्दुल गफुर द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री शंकर लाल सक्सेना पुत्र श्री मोहनलाल सक्सेना द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.05.2024 को श्री रजत सक्सेना पुत्र श्री शंकर लाल सक्सेना को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1140 योजना बसंत बिहार केशवपुरा-9 आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री रजत सक्सेना पुत्र श्री शंकर लाल सक्सेना के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-1324 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 27.6.2024

नगर विकास न्यास कोटा की बसंत बिहार केशवपुरा-9 आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 1292 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 26.11.1984 को श्रीमती प्रमिला पत्नी श्री डाकोर लाल को आवंटन किया गया था। आवंटी श्रीमती प्रमिला पत्नी श्री डाकोर लाल द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री मूलचंद सोनी पुत्र श्री पांथूलाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2021 को श्रीमती कृष्णा असरा पत्नी श्री हरीश असरा को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2024 को श्रीमती दयावंती पत्नी श्री अनिल गौड को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1292 योजना बसंत बिहार केशवपुरा-9 आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती दयावंती पत्नी श्री अनिल गौड के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2484 जाहिर आम सूचना दिनांक - 27.6.24

आवास संख्या 1-व-15 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री शरद कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रभु लाल श्रीवास्तव को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री शरद कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रभु लाल श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 07.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री शरद कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रभु लाल श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 10.01.2024 को व इनकी पत्नी श्रीमती किरण श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 13.09.2011 को हो चुकी है। श्री शरद कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रभु लाल श्रीवास्तव द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 05.01.2016 को अपने पुत्र श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव के पक्ष में आलेखित की गई। श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव पुत्र स्व. एस.के. श्रीवास्तव द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-व-15 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव पुत्र स्व. एस.के. श्रीवास्तव के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव पुत्र स्व. एस.के. श्रीवास्तव के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव पुत्र स्व. एस.के. श्रीवास्तव के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2472 जाहिर आम सूचना दिनांक - 27.6.24

आवास संख्या 5-आई-8 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मण लाल माहेश्वरी को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मण लाल माहेश्वरी द्वारा दिनांक 29.03.2011 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मण लाल माहेश्वरी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 12.10.2011 को श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री भगवान दास शर्मा एवं श्रीमती प्रिया शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा को संयुक्त रुप से किया गया। श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री भगवान दास शर्मा द्वारा उक्त आवास के 1/2 अविभाजित हिस्से का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 17.03.2016 को श्रीमती प्रिया शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा को किया गया। श्रीमती प्रिया शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा का नाम दिनांक 22.12.2016 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती प्रिया शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने सम्पूर्ण अविभाजित हिस्से का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 27.08.2021 को श्रीमती मीना शर्मा पुत्री श्री नवल बिहारी शर्मा को किया गया। श्रीमती मीना शर्मा पुत्री श्री नवल बिहारी शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-आई-8 महावीर नगर तृतीय कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मीना शर्मा पुत्री श्री नवल बिहारी शर्मा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मीना शर्मा पुत्री श्री नवल बिहारी शर्मा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मीना शर्मा पुत्री श्री नवल बिहारी शर्मा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक:-उ.आ.आ./को.वृ.को./2023-2024/ दिनांक: .....

जाहिर आम सूचना

आवास संख्या 4 एल 6 दादाबाड़ी विस्तार कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती बीना रानी पत्नी श्री अशोक कुमार को किया गया। श्रीमती बीना रानी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा द्वारा आलेखित कर दिनांक 30.08.1983 को श्रीमती प्रवेश शर्मा पत्नी श्री पूरणचन्द शर्मा को किया गया। श्रीमती प्रवेश शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.01.2008 को हो गयी, मृत्यु पश्चात उनके वारिसान श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा द्वारा इस कार्यालय में अपने पक्ष में नियमितिकरण हेतु आवेदन किया गया।

अत: इस आवास का नियमितिकरण श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरणचन्द शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1482 विज्ञप्ति दिनांक:-27.6.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम शिवपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना चित्रगुप्त कॉलोनी भूखंड संख्या बी-26/9 खसरा नं. दस्तावेज अनुसार 63, ले-आउट प्लान अनुसार 64/122 आवेदक/आवेदिका श्री पंकज कुमार ठाकुर पुत्र स्व. श्री रत्नेश्वर ठाकुर निवासी बी-26/9 चित्रगुप्त कालोनी शिवपुरा थाना दादाबाड़ी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 178 दिनांक 22.11.2021 को श्री रत्नेश्वर ठाकुर पुत्र श्री रामचन्द्र ठाकुर के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 08.01.2022 को हो चुकी है। पट्टाधारी द्वारा अपने जीवनकाल में जर्ये रजि. वसीयत नामा दिनांक 06.01.2022 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री पंकज कुमार ठाकुर पुत्र स्व. श्री रत्नेश्वर ठाकुर के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/4862 दिनांक:-27.6.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री महेश नारायण शर्मा पुत्र श्री स्व.श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा निवासी भूखण्ड संख्या-202, शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 202, शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल योजना कोटा (राज.) के पत्रांक एफ-1(3) क.म./विकास/60/645 दिनांक 09.02.1961 से श्री चन्द्रभान लालवानी पुत्र श्री मेघराज को किया गया। श्री चन्द्रभान लालवानी पुत्र श्री मेघराज ने पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 02.12.1971 से उक्त भूखण्ड को श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद को विक्रय किया गया है। श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा वसीयतनामा दिनांक 19.04.2015 से उक्त भूखण्ड की वसीयत श्री महेश नारायण शर्मा पुत्र स्व.श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा के पक्ष में की गई है। श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.01.2022 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान श्री महेश नारायण शर्मा पुत्र स्व.श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा के पक्ष में नामहस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण

थर्मल चीफ ऑफिस पर अभियंताओं व कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया

कोटा, (निसं)। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति कोटा थर्मल इकाई ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कोटा थर्मल मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करके अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा विभाग) राजस्थान सरकार के नाम थर्मल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

संघर्ष समिति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है किन्तु अभी तक सिर्फ पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों को ही जीपीएफ खाता संख्या आवंटित कर पेंशन जारी की गई है।

साथ ही 1 अप्रैल 2023 के बाद नियुक्त कार्मिकों के भी जीपीएफ खाता संख्या आवंटित किए जा चुके है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कर्मचारी संगठनों द्वारा विद्युत प्रशासन से बार-बार मौखिक और लिखित अनुरोध के बाद भी सेवारत कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती अभी तक बन्द नहीं की गई है और ना ही जीपीएफ खाता संख्या आवंटित किये गये हैं, जिससे बिजली कर्मचारियों में विद्युत प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। जयपुर मुख्यालय पर विगत 21 जून 2024 को राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा विद्युत भवन में प्रसारण निगम के मुख्य लेखा नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी (पी. एण्ड एफ.) से इस विषय पर विस्तृत वार्ता की। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि कानूनी रूप से पांचों विद्युत निगमों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है लेकिन अभी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों की सीपीएफ कटौती बन्द करने एवं जीपीएफ खाता संख्या आवंटित करने का प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार 27 जून को राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया।

संघर्ष समिति के आव्हान पर कोटा थर्मल संयुक्त संघर्ष समिति ने भारी संख्या में मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर